

उप उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, बारा जिला बारा (राज.)

प्राथमिक पत्र सं.	धारा अन्तर्गत	ग्राम	तहसील
129/22	188 RTA	रसका	बारा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
राजेश शर्मा	बनाम	गिधा गोपाल वर्मा

वकील :-

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
12-8-22	अभिभाषण बही करा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 RTA विरुद्ध जर्ज करी गण के दावा में पेश किया गया। रिपोर्ट सारिता का अवलोकन किया गया। उक्त जर्ज रजिस्ट्रार किया जाई जर्ज करी गण को जर्ज लागू रख दिया जाकर पत्रावली दिनांक 22.9.22 को पेश हो गई।	
22-9-22	पत्रावली पेश उक्त बही उक्त जर्ज करी करी करी 154 की ओर है श्री कोमलकाय अडेप्टाण एड. का बकायामना पेश उक्त जर्ज करी उक्त की उक्त लागू वाद बकायामना जर्ज वापस करी के दावा में उक्त जर्ज उक्त विरुद्ध एक गण कार्यवाही की जाई पत्रावली का दिनांक 14.10.22 को पेश हो गई।	
14.10.22	पत्रावली पेश उक्त बकायामना लीके उक्त बकायामना जर्ज करी करा जर्ज पत्र 07 RTI एन धारा 15(1)(d) पेश किया। गणल बकायामना करी को डिमांड जर्ज पत्रावली का दिनांक जर्ज जर्ज दिनांक 12-12-22 को पेश हो गई।	
12-12-22	गैरवासीन अधिकारी द्वारा पत्रावली में रहने से पूर्ववत दिनांक 3-1-23 को प्रस्तुत की। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारा	
3-1-23	पत्रावली जर्ज पेश उक्त बकायामना करी उक्त जर्ज पत्रावली जर्ज जर्ज जर्ज पत्रावली जर्ज जर्ज जर्ज दिनांक 2-2-23 को पेश हो गई।	

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

15-9-25

पत्रावली आला से डा हई / वरीक वारी / वारी एवं
 वरीक उहवादी / उहवादी उजो गरी / वरीक वारी / वारी
 एवं वरीक उहवादी / उहवादी से हीन काट आतात
 उहवादी उहवादी / वारीक वारी के नपाप्रावप के उजो
 गरी / उहवादी का काट उहवादी उहवादी उहवादी
 के उहवादी उहवादी उहवादी उहवादी उहवादी
 उहवादी काट उहवादी उहवादी के उहवादी उहवादी

उप खण्ड अधिकारी
 वारी